न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक)सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 27 / 2014

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2006 / 00016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 रूड़ाराम पुत्र खुमाजी, कौम–कोली, निवासी–लालपुर तहसील–सांचौर, जिला–जालोर		1 हाजा पुत्र वागा 2 नागजी पुत्र वागा जातियान–रेबारी, निवासीगण– लालपुर, तहसील–सांचौर 2 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर जिला–जालोर, राजस्थान

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>तारीख रजु :– **18.04.2006**</u>

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भीमाराम चौधरी उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 3 की और से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 11.03.2025

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा लालपुर में पुराने खेत खसरा संख्या 56 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा तथा खसरा संख्या 57 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा के आये हुए है इन दोनों के बीच की माठ पुराना नक्शा ट्रैश में 'अ' से 'ब' है। उक्त पुराना खसरा संख्या 56 प्रतिवादी संख्या 1 व 02 के नाम का है एवं खसरा संख्या 57 वादी के बंटसुदा है। उक्त खेत खसरा संख्या 57 के नया खसरा संख्या 128 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 129 रकबा 3.47 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 रकबा 1.02 हैक्टेयर नवीन पैमाईश वालों द्वारा निर्मित किये गये है तथा खसरा संख्या 131/388 रकबा 0.09 हैक्टेयर भी वादी के ही खेत खसरा संख्या 57 का ही भू–भाग है जो नक्शा ट्रैश से स्पष्ट साबित हो जाता है तथा मौके पर भी कब्जा काश्त वादी का उक्त विवादित आराजी खसरा संख्या 131/388 रकबा 0.09 हैक्टेयर पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा [illegible] मौके पर प्रथम पैमाईश के समय की माठ मौजूद है लेकिन नवीन [illegible] संख्या 131/388 को वादी की जमीन में से काट कर [illegible] के उपरान्त भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर दिया गया जो [illegible]धि विरूद्व है तथा काबिल निरस्त है। हकीकत में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में ही कोई कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का है। ऐसी सुरत मे उक्त इन्द्राज प्रतिवादी के नाम जो किया गया है वह निरस्त योग्य है। नये नक्शा ट्रैश व पुराने नक्शा ट्रैश दोनों के अध्ययन से भी स्पष्ट हो जाता है कि खसरा संख्या 131/388

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

वादी के खेत खसरा संख्या 57 में से बनाया गया है तथा नवीन माठ 'अ' व 'ब' नई बनाकर नया खसरा संख्या 131/388 वादी के खेत में से ही बनाया गया है जबकि मौके की स्थिति के अनुसार खसरा संख्या 131/388 अलग से काई खसरा नंबर नहीं है। उक्त खसरा संख्या 131 का ही भू–भाग है तथा मौके पर कब्जा काश्त वादी का है तथा पुराने नक्शा ट्रैश अनुसार ही माठ मौजूद है। विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त पीढ़ी दर पीढ़ी मौजूद होने से विवादित आराजी पर वादी का लगातार एडवर्स पजेशन निर्बाध रूप से होने तथा विवादित आराजी वादी की पैतृक संपति होने से वादी को खातेदारी अधिकार स्वतः हासिल हो चुके है जिसकी उद्घोषणा वादी अपने नाम करवाने का विधिसम्मत अधिकारी है। ऐसी सुरत में यह वाद श्रीमान की सेवा में पेश है।

दावा दिनांक 18.04.2006 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उपस्थित आये तथा जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि खेत खसरा संख्या 56 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 57 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा भूमि आई हुई है। वांके लालपुर के खेत खसरा संख्या 56 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा के नये नंबर 130 रकबा 0.93 हैक्टेयर व खसरा संख्या 131/388 रकबा 0.09 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.02 हैक्टेयर बना है। सेटलमेंट से मौके पर कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का पुश्तैनी चला आ रहा है। पुराने खेत खसरा संख्या 56 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा था जिसके नये नंबर 130, 131/388 बने है जुमले रकबा 1.02 हैक्टेयर है जो रकबा बराबर है। अभी भी खेत खसरा संख्या 130 रकबा 0.93 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 131/388 रकबा 0.09 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.02 हैक्टेयर है जिसका रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा बनता है रकबा बराबर है, वादी ने गलत तथ्य पेश किये है। वादी का भी रकबा बराबर है। खसरा संख्या 130 व 131/388 एक ही चक में भूमि आई हुई है चारों तरफ बाड़ है प्रतिवादीगण का कब्जा है। वादी के बंट में आने की बात गलत है। खसरा संख्या 131/388 पर वादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रतिवादीगण की पुश्तैनी जमीन है अतः खसरा संख्या 131/388 का रकबा 0.09 हैक्टेयर प्रतिवादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का पुश्तैनी खेत है। वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

वादी व प्रतिवादीगण के वाद व जवाबदावा के आधार पर हस्तगत प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:40 IST
Reason: SelfAttested

1. आया खेत खसरा संख्या 131/388 रकबा 0.09 हैक्टेयर वांके स[illegible] वादी के खातेदारी के खेत 131 का भाग होने से व[illegible] गलती [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम विधि विरूद्व दर्ज करने वादी उक्त आराजी [illegible]दारी पाने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)
2. आया विवादित आराजी खसरा संख्या 131/388 जो कि खसरा संख्या 130 का ही भू–भाग है तथा दोनों खसरों का कब्जा काश्त प्रतिवादी का होने से वाद काबिल खारिज है। (जिम्मे प्रतिवादी)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

हस्तगत प्रकरण में हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौका जांच रिपोर्ट तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। वादीगण द्वारा हस्तगत वाद में गवाह रूडाराम, रगा, प्रभु, मूलाराम ने उपस्थित होकर अपने सशपथ बयानो में बताया कि नवीन खेत खसरा संख्या 131 व 131/388 दोनों कुल रकबा 7 बीघा है जिस पर लगातार हम वादी का काश्त कब्जा चला आ रहा है। इस संबंध में हस्तगत वाद में वादी द्वारा नक्शा लट्ठा ट्रैस ईएक्स पी 1, नक्शा ट्रैश प्रदर्श–2, जमबांदी संवत् 2036–2039 प्रदर्श–3, जमाबंदी प्रदर्श–5, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–6, पेश कर प्रदर्शित करवाए तथा प्रतिवादीगण द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर शहादत प्रतिवादीगण बंद की गई।

उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा लालपुर में पुराने खेत खसरा संख्या 56 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 57 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा के आये हुए है दोनों के बीच माठ बनी हुई है। पुराना खसरा संख्या 56 प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 से खातेदारी का है व खसरा संख्या 57 वादी के बंटसुदा है। खसरा संख्या 57 के नवीन खेत खसरा संख्या 128 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 129 रकबा 3.47 हैक्टेयर, खसरा संख्या 131 रकबा 1.02 हैक्टेयर नवीन पैमाईश के वक्त नवसृजित किये गये है। खसरा संख्या 131/388 रकबा 0.09 हैक्टेयर की वादी के खेत खसरा संख्या 57 का ही भू–भाग है लेकिन नवीन पैमाईश के वक्त खसरा संख्या 131/388 वादी की जमीन में से वादी का कब्जा काश्त होते हुए प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा मौके पर पुराना नक्शा के अनुसार ही माठ मौजूद है क्योंकि खसरा संख्या 131 व 131/388 दोनों ही वादी के कब्जासुदा खेत है तथा उक्त आराजी पर वादी का पीढ़ीयों से काश्त कब्जा चला आ रहा है तथा वादी का लगातार एडवर्ज पजेशन निर्बाध रूप से चला आ रहा है। अतः खसरा संख्या 131/388 रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी की डिक्री वादी के हक में सादिर फरमावें।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उक्त तथ्यों को घोर विरोध करते हुए अपने जवाब दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि वादी का पुराना खेत खसरा संख्या 57 रकबा 27 बीघा 18 बिस्वा भूमि जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 128, 129, 131 नवसृजित हुए है तथा प्रतिवादीगण का पुराना खेत खसरा संख्या 56 से नवीन खेत खसरा संख्या 130 व 131/388 नवसृजित हुए है तथा उसी अनुसार मौके [illegible]गण का काश्त कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त आराजी पर वादी का कोई कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अतः वादी का वाद खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:40 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी तथा बहस पर मनन किया तनकीयात अनु[illegible] निर्णय निम्न प्रकार से है :–

1. **<u>तनकी संख्या 01 :–</u>** उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा वादी का होने से इस संबंध में वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 6 प्रस्तुत किये तथा वादी की ओर से गवाह

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

रूड़ाराम, रगा, प्रभु, मूलाराम के बयान कलमबद्व करवाये गये वादी एवं वादी के सभी गवाहान् द्वारा अपने सशपथ बयानों में एक ही स्वर में बताया कि मौजा लालपुर में खसरा संख्या 131/388 रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि पर वक्त जागीरी से लगातार आज दिन तक कब्जा काश्त वादी रूड़ाराम का पीढ़ीयों से चला आ रहा है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। इस संबंध में पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया जिस पर पाया कि खेत खसरा संख्या 56 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा व खसरा संख्या 57 रकबा 57 बीघा 18 बिस्वा भूमि है। खसरा संख्या 56 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा के नये खसरा नंबर 130 रकबा 0.93 हैक्टेयर व खसरा संख्या 131/388 रकबा 0.09 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.02 हैक्टेयर बना है। उक्त आराजी पुश्तैनी है तथा प्रतिवादी का पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त रकबा बराबर है। इस प्रकार उक्त तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्व तथा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. <u>**तनकी संख्या 02 :–**</u> उक्त तनकी सिद्व करने का जिम्मा प्रतिवादी पर होने से प्रतिवादीगण अपने जवाब के तथ्यों अनुसार खसरा संख्या 130 व 131/388 एक ही चक में भूमि आई है चारों तरफ बाड़ है परन्तु कब्जा प्रतिवादी का है। वादी को किसके द्वारा बंट में दी गई प्रतिवादी का रकबा व नक्शा अलग खेत खसरा संख्या 131/388 पर वादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। उक्त खातेदारी पुश्तैनी है अतः तनकी संख्या 02 वादी के विरूद्व तथा प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से तनकी संख्या 01 व 02 प्रतिवादी के पक्ष में तथा वादी के विरूद्व निर्णित होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अस्वीकार किये जाने योग्य होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

:– आदेश :–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं होने से **अस्वीकार/खारिज** किया जाता है।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलेक्टर (फास्ट
ट्रेक) सांचौर

निर्णय आज दिनांक **11.03.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट
ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
फास्ट ट्रेक
सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सांचौर
फास्ट ट्रेक
सांचौर (जालोर)
जिला जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kuma
Date: 2025.04.24 17:02:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6—7, जाब्ता दीवानी)
Civil Procedure Code, Appendix "D-"1

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट—ट्रेक)सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी :— प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :— 27 / 2014
जी.सी.एम.एस. नंबर :— 2006 / 00016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 रूड़ाराम पुत्र खुमाजी, कौम—कोली, निवासी—लालपुर तहसील—सांचौर, जिला—जालोर		1 हाजा पुत्र वागा 2 नागजी पुत्र वागा जातियान—रेबारी, निवासीगण—लालपुर, तहसील—सांचौर 2 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर जिला—जालोर, राजस्थान

दावा अन्तर्गत धारा 88, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :— 09.07.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं होने से **अस्वीकार / खारिज** किया जाता है।

मौजा—लालपुरा मुवलिंग बाबत् खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व भरह फीसदी, सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक की अदा कर।
बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **11.03.2025** को जारी की गई

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट—ट्रैक)
सांचौर, जिला—जालोर

मुदई	रूपया	पै0	मुद्दायलाह	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	03	00
स्टाम्प वकालात नामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूय	00		महनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00		खर्चा गवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00		फीस कमीश्नर	00	00
फीस कमीश्नर	00		बाबत् इजराय हुक्मनामा	[illegible]	[illegible]
बाबत् इजराय हुक्मनामा	00		मुतफरीक	[illegible]	[illegible]
मुतफरिक	00				
मौजाना	04	00	मौजाना	03	00

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर की फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर (फास्ट—ट्रैक)
सांचौर, जिला—जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.04.24 17:02:40 IST
Reason: SelfAttested